

प्रशासकीय अधिकारों का प्रत्यायोजन

क्र	प्रशासनिक अधिकारों का प्रकार	अधिकारी जिनको वर्तमान में अधिकार प्रदत्त किये गये हैं	वर्तमान में प्रदत्त अधिकारों की सीमा	अधिकारी जिन्हें अब अधिकार है	अधिकारी की सीमा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
	अवकाश (अध्ययन अवकाश, नियोगता अवकाश एवं भारत के बाहर अवकाश को छोड़कर स्वीकृत देना ।					
अ.	प्रथम श्रेणी के अधिकारी					
1.	संयुक्त आयुक्त	राज्य शासन	समस्त अधिकार	विकास आयुक्त	1 दिवस के लेकर 120 दिवस तक	वि.आ. में पदस्थ के लिए
2.	उपायुक्त विकास	राज्य शासन	समस्त अधिकार	विकास आयुक्त	1 दिवस के लेकर 120 दिवस तक	वि.आ. में पदस्थ के लिए
3.	अधीक्षण अभियंता	राज्य शासन	समस्त अधिकार	विकास आयुक्त	1 दिवस के लेकर 60 दिवस तक	वि.आ. में पदस्थ के लिए
4.	कार्यपालन अभियंता	राज्य शासन	समस्त अधिकार	मुख्य अभियंता	1 दिवस के लेकर 60 दिवस तक	संभाग में पदस्थ के लिए
				विकास आयुक्त	60 से अधिक 120 दिवस तक	
ब.	द्वितीय श्रेणी के अधिकारी					
5.	मुख्य लेखाधिकारी	राज्य शासन	समस्त अधिकार	विकास आयुक्त	1 दिवस के लेकर 120 दिवस तक	वि.आ. में पदस्थ के लिए
6.	लेखाधिकारी			विकास आयुक्त	1 दिवस के लेकर 120 दिवस तक	वि.आ. में पदस्थ के लिए
7.	सहायक अभियंता	राज्य शासन	समस्त अधिकार	1.मु.का.अ. जिला पंचायत	1 दिवस के लेकर 30 दिवस तक	जिले में पदस्थ के लिए
					(आकस्मिक अवकाश को छोड़कर)	
				2. मुख्य अभियंता	1 दिवस से लेकर 60 दिवस तक	

क्र	प्रशासनिक अधिकारों का प्रकार	अधिकारी जिनको वर्तमान में अधिकार प्रदत्त किये गये हैं	वर्तमान में प्रदत्त अधिकारों की सीमा	अधिकारी जिन्हें अब अधिकार है	अधिकारी की सीमा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
				3. विकास आयुक्त	1 दिवस से 120 दिवस तक	जिले में पदस्थ के लिए
					1 दिवस से अधिक 120 दिवस तक	वि.आ. में पदस्थ के लिए
8.	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त	राज्य शासन	समस्त अधिकार	1. मु.का.अ. जिला पंचायत	1 दिवस के लेकर 60 दिवस तक	जिले में पदस्थ के लिए
	(मु.का.अधि. जनपद पंचायत)				(आकस्मिक अवकाश को छोड़कर)	
				2. विकास आयुक्त	1 दिवस से 120 दिवस तक	
9	विकासखण्ड अधिकारी	राज्य शासन	समस्त अधिकार	1. मु.का.अ. जिला पंचायत	1 दिवस के लेकर 90 दिवस तक	जिले में पदस्थ के लिए
				2. विकास आयुक्त	1 दिवस से 120 दिवस तक	
स.	तृतीय श्रेणी कार्यपालक					
10.	संभागीय लेखापाल (ग्रा.यां.से.)	विकास आयुक्त	समस्त अधिकार	1. कार्यपालन यंत्री	1 दिवस से लेकर 60 दिवस तक	जिले में पदस्थ के लिए
				2. मुख्य अभियंता	1 दिवस से 120 दिवस तक	
11.	आडीटर (वि.आ.कार्या)	विकास आयुक्त	समस्त अधिकार	विकास आयुक्त	1 दिवस से 120 दिवस तक	वि.आ.का में पदस्थ के लिए
12.	मानचित्रकार / मुख्य मानचित्रकार (ग्रा.यां.से.)	विकास आयुक्त	समस्त अधिकार	1. कार्यपालन यंत्री	1 दिवस से लेकर 60 दिवस तक	जिले में पदस्थ के लिए
				2. मुख्य अभियंता	1 दिवस से 120 दिवस तक	
13.	सहायक मानचित्रकार (ग्रा.यां.से.)	विकास आयुक्त	समस्त अधिकार	1. कार्यपालन यंत्री	1 दिवस से लेकर 60 दिवस तक	संभाग में पदस्थ के लिए
				2. मुख्य अभियंता	1 दिवस से 120 दिवस तक	
				3. विकास आयुक्त	1 दिवस से 120 दिवस तक	वि.आ.का में पदस्थ के लिए
14.	अनुरेखक (ग्रा.यां.से.)	विकास आयुक्त	समस्त अधिकार	1. कार्यपालन यंत्री	1 दिवस से लेकर 60 दिवस तक	संभाग में पदस्थ के लिए
				2. मुख्य अभियंता	1 दिवस से 120 दिवस तक	संभाग में पदस्थ के लिए
				3. विकास आयुक्त	1 दिवस से 120 दिवस तक	वि.आ.का में पदस्थ के लिए
15.	विकास विस्तार अधिकारी	विकास आयुक्त	समस्त अधिकार	1. मु.का.अ. जनपद पंचायत	1 दिवस से लेकर 30 दिवस तक	जनपद में पदस्थ के लिए
				2. मु.का.अ. जिला	1 दिवस से 60 दिवस तक	जिले में पदस्थ के लिए

क्र	प्रशासनिक अधिकारों का प्रकार	अधिकारी जिनको वर्तमान में अधिकार प्रदत्त किये गये हैं	वर्तमान में प्रदत्त अधिकारों की सीमा	अधिकारी जिन्हें अब अधिकार है	अधिकारी की सीमा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
				पंचायत		
				3. विकास आयुक्त	1 दिवस से 120 दिवस तक	
16.	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	विकास आयुक्त	समस्त अधिकार	1. मु.का.अ. जनपद पंचायत	1 दिवस से लेकर 30 दिवस तक	जनपद में पदस्थ के लिए
				2. मु.का.अ. जिला पंचायत	1 दिवस से 60 दिवस तक	जिले में पदस्थ के लिए
				3. विकास आयुक्त	1 दिवस से 120 दिवस तक	
17.	उपयंत्री	विकास आयुक्त	समस्त अधिकार	1. कार्यपालन यंत्री	1 दिवस से लेकर 30 दिवस तक	ग्रा.यां.से. में पदस्थ के लिए
				2. मु.का.अ. जनपद पंचायत	1 दिवस से अधिक 30 दिवस तक	जनपद में पदस्थ के लिए
				3. मुख्य अभियंता	1 दिवस से 60 दिवस तक	ग्रा.यां.से. में पदस्थ के लिए
				4. मु.का.अ. जिला पंचायत	1 दिवस से 90 दिवस तक	संभाग में पदस्थ के लिए
				6. विकास आयुक्त	1 दिवस से 120 दिवस तक	संभाग में पदस्थ के लिए
18.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	विकास आयुक्त	समस्त अधिकार	1. कार्यपालन यंत्री	1 दिवस से लेकर 60 दिवस तक	संभाग में पदस्थ के लिए
				2. मुख्य अभियंता	1 दिवस से 120 दिवस तक	संभाग में पदस्थ के लिए
द.	तृतीय श्रेणी लिपिकीय					
19.	अधीक्षक/सहाक अधीक्षक	विकास आयुक्त	समस्त अधिकार	विकास आयुक्त	1 दिवस से 120 दिवस तक	वि.आ.का में पदस्थ के लिए
20.	सहायक ग्रेड-1,2,3	विकास आयुक्त	समस्त अधिकार	1. विकास आयुक्त	1 दिवस से 120 दिवस तक	वि.आ.का में पदस्थ के लिए
	प्रकाशन सहायक/लेखापाल			2. मुख्य अभियंता/कार्य.यंत्री	1 दिवस से 120 दिवस तक	संभाग में पदस्थ के लिए
21	स्टेनोग्राफर	विकास आयुक्त	समस्त अधिकार	1. कार्यपालन अभियंता	1 दिवस से लेकर 60 दिवस तक	जिले में पदस्थ के लिए
				2. मुख्य अभियंता	1 दिवस से 120 दिवस तक	संभाग में पदस्थ के लिए
				3. विकास आयुक्त	1 दिवस से 120 दिवस तक	वि.आ.का में पदस्थ के लिए
22	स्टेनोटायपिस्ट	विकास आयुक्त	समस्त अधिकार	1. विकास आयुक्त	1 दिवस से 120 दिवस तक	वि.आ.का में पदस्थ के लिए
				2. मुख्य अभियंता/कार्य.यंत्री	1 दिवस से 120 दिवस तक	संभाग में पदस्थ के लिए

क्र	प्रशासनिक अधिकारों का प्रकार	अधिकारी जिनको वर्तमान में अधिकार प्रदत्त किये गये हैं	वर्तमान में प्रदत्त अधिकारों की सीमा	अधिकारी जिन्हें अब अधिकार है	अधिकारी की सीमा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
23	वाहन चालक	विकास आयुक्त	समस्त अधिकार	1. विकास आयुक्त 2. अधीक्षण यंत्री / कार्य.यंत्री	1 दिवस से 120 दिवस तक 1 दिवस से 120 दिवस तक	वि.आ.का में पदस्थ के लिए संभाग में पदस्थ के लिए
इ.	चतुर्थ श्रेणी					
24	चतुर्थ श्रेणी, समस्त	विकास आयुक्त	समस्त अधिकार	विकास आयुक्त कार्यपालन यंत्री मुख्य अभियंता	समस्त अधिकार 1 दिवस से 60 दिवस तक 1 दिवस से 120 दिवस तक	वि.आ.का. में पदस्थ के लिए संभाग में पदस्थ के लिए संभाग में पदस्थ के लिए